—::आदेश::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन कर मनन करने पर स्पष्ट होता है कि वर्तमान में दर्ज खातेदारी को खारिज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

(मनसुख राम डामोर,RAS)
उपखण्ड अधिकारी(SDO)
घाटोल

Scanned with OKEN Scanner